वित्तीय स्वीकृति

संख्या-62/2016/2370/52-3-16-बजट(20)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में। (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1902/□0□0□0□□0/□□□□/2015-16 दिनांक 16.8.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ मे◌े◌ेडिकल/इंजीनियरिंग व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु आयोजनेत्तर आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 15,00,000/- (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) □□सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 07,50,000/- (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं◌ः-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया □□□□ □□□ □□□□□ को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि तथा गतवर्ष में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण प्राप्त होने पर ही द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

4- धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने सं पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □□□□

2- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □ □-व्यर□ □□ □□□□□ संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गा का कल्याण-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को □□□□□-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण-0305-मेडिकल/इंजीनियरिंग के व्यवसायिक पाठयक्रमों में परीक्षापूर्व कोचिंग की व्यवस्था हेतु अनुदान-20-सहायता अनु□□-सामान्य (□□ □□□) □□ □□□□□□□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-2370 (1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/1□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□□
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।